

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 78

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2022-01699

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "ग्रेस बाई गणपति" द्वारा -श्री देवेन्द्र मध्यानी, पता-वागांव, आर-54,
गणपति विहार, बोरसी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "ग्रेस बाई गणपति" जुनवानी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
22/11/2023	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री आकाश गुप्ता उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में मार्च, 2023 तक वार्षिक रिपोर्ट एवं माह सितम्बर, 2023 तक त्रैमासिक रिपोर्ट प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 1,00,000/- (अक्षरी-एक लाख रुपये) प्राधिकरण के खाता क्रमांक-5911887962, कोटक महिन्द्रा बैंक, सिविल लाईन, रायपुर में दिनांक 30.10.2023 को जमा कराया गया है। भारतीय स्टेट बैंक एस.एम.ई. शाखा (12278) दुर्ग (छ.ग.) का जमा स्लिप पेश किया गया।</p> <p>अनावेदक प्रमोटर को चेतावनी दी जाती है कि अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों एवं प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले परिपत्र एवं नियम, निर्देशों का नियमित रूप से भली भाँति पालन करें, भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।</p> <p>लेखा शाखा, शास्ति की राशि 1,00,000/- उचित शीर्ष मद में चालान द्वारा जमा कराया जावे।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया गया। प्रकरण अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	